१।३।१७	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप। मूल मिसिल में निर्णय पारित होने से अवमानना प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमाम धुनेय नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।